Dr. Seema Kumari, Asst. Prof. (Pol. Sc.), RMC, VKSU

आस्टिन का प्रभुसत्ता सिद्धांत (1790-1859)

संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत जॉन आस्टिन की महत्वपूर्ण देन है। किसी भी सिद्धांत पर तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। आस्टिन ने सकारात्मक कानून का सिद्धांत प्रस्तुत किया जो राज्य की कानूनी संप्रभुता को महत्व देता है। जो कानून सामाजिक संबंधों का नियमन करता है जिसका उद्देश्य न्याय तथा जन कल्याण के साधन जुटाना है वह प्रभुसत्ताधारी की इच्छा की अभिव्यक्ति होता है। राज्य के विधानमंडल में इसका निरंतर संशोधन करने का अधिकार होना चाहिए। जॉन आस्टिन के अनुसार, कानून केवल ऐसे नियम को मान सकते हैं जिसमें ये विशेषताएँ पाई जाती है:- 1. कानून की उत्पति किसी ऐसे स्त्रोत से होने चाहिए जो निर्णय करने में समर्थ हो 2. इसमें किसी आदेश की अभिव्यक्ति होनी चाहिए 3. वह प्रमाणिक होना चाहिए अर्थात इसका उल्लंघन करने पर दंड का विधान होना चाहिए।

जॉन ऑस्टिन ने अपने किताब 'Lectures on Jurisprudence (विधानशास्त्र पर व्याख्यान)' में वैधानिक संप्रभुता का विश्लेषण किया है। आस्टिन के अनुसार संप्रभुता की निम्न विशेषताएं हैं:-

1. प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है।

Scanned with CamScanner

2. संप्रभु किसी एक मनुष्य या समूह में हो सकता है यह निश्चित होना चाहिए।
3. संप्रभु मनुष्य या समूह किसी उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं कर सकता।
4. प्रभुत्व शक्ति को समाज की बहुसंख्या से पूर्ण आज्ञाकारिता प्राप्त होनी चाहिए।
5. प्रभुत्वशक्ति के आदेश ही कानून है और आदेश रूप में, आज्ञाओं को न मानने की दशा में दंड का अधिकारी होना पड़ता है।
6. प्रभुत्व शक्ति अविभाज्य है क्योंकि वह एक इकाई है खंडित नहीं हो सकती।

जॉन आस्टिन विधिशास्त्र और न्यायशास्त्र के क्षेत्र में प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक कानूनों को अमान्य करता है। सकारात्मक कानून की नींव पर ही आस्टिन ने प्रभुसता की संकल्पना का निर्माण किया है।

यदि कोई निश्चित मानवीय सत्ता अपनी जैसी किसी अन्य सत्ता की आज्ञा मानने में अभ्यस्त न हो बल्कि प्रस्तुत समाज के सर्वसाधारण उसकी आज्ञा मानने में अभ्यस्त न हो तो इस निश्चित मानवीय सता को उस समाज में प्रभुसताधारी कहेंगे और उस समाज को राजनीतिक और स्वाधीन समाज कहा जाएगा। यह सिद्धांत राज्य को समाज के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है वह राज्य को समाज की सारी संस्थाओं के ऊपर मानता है।

Scanned with CamScanner